प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
प्र0सू0रि0 सं0 ....86/2023........ दिनांक 16.04.2023 ....
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018धाराऐं..................... 7,7ए पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018

(2) अधिनियम............भा0द0सं0...............................धाराऐं ....120बी आईपीसी..............................

(3) अधिनियम...धाराऐं...

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– शनिवार दिनांक :– 15.04.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 04.04.2023 समय :– 11.00 ए.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....287............ समय....9:00 P.M...........

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 60 कि0मी0 बजानिब उत्तर दिशा
बीट संख्या..जुरामदेही सं...
(ख) पताः– श्री द्वारकालाल नागर वार्ड नं0 04 में पुराना बस स्टेण्ड के पास बपावर स्थित मकान के ग्राउण्ड फ्लोर में पीछे की तरफ निर्मित कार्यालयनुमा कक्ष

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री रामकुंवार
(ख) पिता/पति का नाम :– स्व0 श्रीलाल जाति धाकड़
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 74 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– वार्ड नम्बर 5, डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. श्री मनीष कुमार नागर पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द नागर जाति धाकड़ उम्र 32 साल निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0)
2. श्री धनराज पुत्र स्व0 श्री रत्तीराम जाति मेघवाल उम्र 55 साल निवासी डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल वार्ड पंच वार्ड नं0 05 ग्राम डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0) व अन्य

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 50,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 04.04.2023 को परिवादी श्री रामकुंवार पुत्र स्व0 श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र 74 साल निवासी वार्ड नम्बर 5, डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0) मो.नं. 8905116175 ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक के समक्ष एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अवलोकन किया गया। परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने विश्वसनीय व्यक्ति से टाईप करवाना बताया जो इस संबंध में किसी को कोई जिक्र नहीं करेगा तथा पूर्ण गोपनीयता बरतेगा। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना व स्वंय के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होना बताया है। परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि वह गांव डूंगरपुर का रहने वाला है। उसने अपने गांव के श्री धनराज मेघवाल पुत्र श्री रत्तीराम मेघवाल से 12–13 साल पहले लगभग 70 बाई 70 वर्ग फीट की साईज का एक बाड़ा डेढ़ लाख रूपये में खरीदा था। बाड़ा खरीदने के समय गांव के श्री धनराज मेघवाल के हाथ से की गयी लिखापढ़ी का कागज भी उसके पास मौजूद है। उसकी ग्राम पंचायत लटूरी के पूर्व सरपंच श्री बंशीलाल जी के समय भी श्री रामबाबू शर्मा सेकेट्री उसके बाड़े को नापने के लिए आया था और सेकेट्री ने उसको मौके पर बुलाकर कहा था कि इस बाड़े में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जावेगा। इस पर उसने श्री रामबाबू शर्मा सेकेट्री को बताया था कि यह बाड़ा तो उसने श्री धनराज मेघवाल से डेढ़ लाख रूपये देकर खरीदा है तथा उसकी लिखा पढ़ी का कागज भी उसके पास मौजूद है। उसके बाद वह पूर्व सरपंच श्री बंशीलाल जी से मिला था तो उन्होने सेकेट्री श्री रामबाबू को बुलाकर उससे कहा था कि यह बाड़ा इसने खरीदा है तथा यहां पर आगनबाड़ी भवन नहीं बनेगा। उसके बाद श्रीमती मीना जांगीड़ ग्राम पंचायत लटूरी की सरपंच बनी तो उनके कार्यकाल में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए अलग से जगह आंवटित कर दी गयी थी। उसके बाद दुबारा वर्तमान सरपंच श्री मनीष नागर व वार्ड पंच श्री धनराज मेघवाल उसको जानबूझकर परेशान करने के लिए उसके द्वारा खरीदे गये बाड़े का नाप करा रहे है तथा श्री रामबाबू सैकेट्री को भिजवाकर बाड़े में आगनबाड़ी भवन का निर्माण कराने की बोल रहे है। इस पर उसने गांव के वार्ड पंच श्री धनराज मेघवाल से कहा कि यह बाड़ा उसने डेढ़ लाख रूपये नकद देकर उससे ही खरीदा था और आगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए दूसरी जमीन भी आवंटित हो चुकी है फिर भी आप लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हो। परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ गांव के श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के साथ सरपंच साहब श्री मनीष नागर से ग्राम पंचायत भवन लटूरी में जाकर मिला तो सरपंच ने उसको वार्ड पंच के सामने ही धमकाते हुए कहा कि तेरे बाड़े में पड़े हुए पत्थर हटा लो नहीं तो वह भी जब्त होगें वहां पर आंगनबाड़ी भवन बनाया जावेगा तथा ग्राम पंचायत की तरफ से तुम्हें नोटिस जारी कर रहे है। सरपंच ने कहा कि उस बाड़े की जगह का कोई पट्टा तुम्हारे नाम नहीं है। इस पर उसने सरपंच साहब श्री मनीष नागर से हाथाजोड़ी की तो सरपंच ने उसके द्वारा खरीदशुदा बाड़े की जगह पर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं कराने तथा उसको बाड़े का पट्टा दिलवाने व नोटिस जारी नहीं करने की एवज में 50,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा धमकी दी है कि यदि दस दिन में 50,000रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर नहीं लाया तो उसके बाड़े की जगह पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराने का नोटिस ग्राम पंचायत से जारी हो जायेगा। इस पर उसने सरपंच साहब से कहा था कि पहले तो आप 25,000रूपये मांग रहे थे और अब 50,000रूपये देने की बात कह रहे हो इस पर सरपंच साहब उससे नाराज हो गये और उसको बाहर जाने के लिए कहते हुए बोले कि अब तेरा बाड़ा नहीं बचेगा, तू भागता फिर। उसके बाद भी श्री मनीष नागर सरपंच उसके गांव के वार्ड पंच श्री धनराज मेघवाल के मोबाइल नम्बर 9950745373 से उसके मोबाइल नम्बर 8905116175 पर 8–10 दिन से कई बार 50,000रूपये रिश्वत राशि देने के लिए श्री धनराज मेघवाल से कॉल करा रहा है। प्रार्थी ने बताया कि वह जायज काम के लिए सरपंच श्री मनीष नागर व वार्ड पंच श्री धनराज मेघवाल को रिश्वत राशि के 50,000रूपये नहीं देना चाहता है तथा दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता है व उसकी उनसे कोई पुरानी रंजिश नही हैं तथा पुराना उधारी का लेनदेन भी बकाया नहीं हैं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की परिधी में आना पाया जाने पर समय 11:40 एएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री मनीष नागर सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी व श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच डूंगरपुर पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा के बारे में परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ के बताये अनुसार डूंगरपुर होने की जानकारी मिलने पर ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह कॉनि0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ के साथ अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से ग्राम डूंगरपुर के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 08:30 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि0 425 ब्यूरो कार्यालय में अकेला उपस्थित आया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर ग्राम डूंगरपुर पहुंचे। जहां पर आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच को परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ के मोबाईल से कॉल कराया गया तो आरोपी श्री धनराज मेघवाल द्वारा कॉल अटेंड नहीं किया गया, इस पर आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच

के घर पर उसका पता करने हेतु परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा उसके घर से कुछ दूरी पर मैं अपनी मोटर साईकिल साईड में खड़ी कर परिवादी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय पश्चात् ही परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ अपनी मोटर साईकिल पर बैठकर मेरे पास आया तथा उसने बताया कि आरोपी श्री धनराज मेघवाल उसके घर पर ही मिल गया था तथा उसने उससे रिश्वत मांग के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते हुए केवल इतना ही बताया कि सरपंच साहब श्री मनीष नागर किसी काम से अटरू गये हुए है तथा मैं भी अभी बपावर जा रहा हूं। सरपंच साहब शाम को 6–7 बजे तक अपने घर लटूरी आयेगें तो मैं तुम्हें लटूरी आने के लिए कॉल कर दूंगा। तुम अभी जाओ। इस पर मैं वापस आपके पास आ गया हूं। चूंकि आरोपी सरपंच श्री मनीष नागर के शाम 6–7 बजे तक उसके गांव लटूरी आने के बारे में आरोपी श्री धनराज मेघवाल ने बताया है। अतः परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ के घर पर शाम 7 बजे तक इंतजार करना उचित मानकर आरोपी सरपंच श्री मनीष नागर के लटूरी आने के बारे में जानकारी देने के लिए आरोपी श्री धनराज मेघवाल के कॉल का इंतजार किया परन्तु शाम 7 बजे तक उसका कोई कॉल नहीं आने पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ से पुनः आरोपी श्री धनराज मेघवाल के मोबाइल पर कॉल कराया गया तो उसने बताया कि सरपंच साहब अभी तक भी लटूरी नहीं आये है तथा कल हम दोनों कोटा जायेगें इसलिए तुम परसों 06.04.2023 को मुझे कॉल करके आ जाना। मैं सरपंच साहब से बातचीत कर जहां पर भी होगें तुम्हें जानकारी देकर बुलाकर तुम्हारी बातचीत करा दूंगा। इस पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ को सुपुर्द किये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने व आरोपियों से सम्पर्क होने पर तत्काल अवगत कराने के निर्देश देकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूं। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये। दिनांक 06.04.2023 समय 07:30 एएम पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ ने जरिये मोबाईल कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि उसके पास आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच का कॉल आया है तथा उसने कहा है कि सरपंच साहब श्री मनीष नागर व मैं दोनों ही सरपंच साहब की बपावर बस स्टेण्ड के नजदीक स्थित ई–मित्र की दुकान पर सुबह 9 बजे बाद मिल जायेगें, मैंने सरपंच साहब से बातचीत की तो उन्होने भी ई–मित्र की दुकान पर बपावर आने के लिए बताया है। इस प्रकार दोनों आरोपियों से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने के लिए श्री देवदान सिंह कानि0 को तुरन्त डूंगरपुर रवाना करें। मैं अपने घर पर उनका इंतजार कर रहा हूं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा जरिये मोबाईल श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 व श्री देवदान सिंह कानि0 425 को कॉल कर ब्यूरो कार्यालय बुलाया व परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल दी गयी सूचना से अवगत कराया गया तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 से मालखाना में रखे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाकर चेक कर श्री देवदान सिंह कानि0 425 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप रिकॉर्ड करने हेतु डूंगरपुर पहुंचकर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ को पुनः चालू बन्द करने की प्रक्रियां समझाकर सुपुर्द करने के निर्देश देकर ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया। समय 03:00 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं अपनी मोटरसाईकिल से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चेक कर लेकर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ के घर डूंगरपुर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ को दोनों आरोपितों से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान होने वाली वार्ताओं को रिकॉर्ड करने के बारे में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू बन्द करने की प्रक्रिया की पुनः समझाईश कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिया था तथा वहां से तत्काल ही हम दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से बस स्टेण्ड बपावर के निकट पहुंच गये थे तथा मैंने बपावर बस स्टेण्ड पर ही अपनी मोटरसाईकिल साईड में खड़ी कर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ को आरोपी सरपंच श्री मनीष नागर की ई–मित्र की दुकान पर रवाना कर दिया था तथा एकान्त में परिवादी के लौटने का इंतजार करने लगा। लगभग आधे घण्टे पश्चात् परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ मेरे पास आया तथा मुझे बताया कि आरोपी सरपंच श्री मनीष नागर की ई–मित्र की दुकान पर सरपंच के साथ आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच भी बैठा हुआ था। उन दोनों से मैंने ई–मित्र की दुकान पर मेरे बाड़े में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं कराने, बाड़े का पट्टा बनवाने तथा मुझे नोटिस जारी नहीं करने के सम्बंध में बातचीत कर ली थी। आरोपी सरपंच ने अस्पष्ट रूप से रिश्वत मांग की है तथा आरोपी सरपंच ने कहा है कि तुम्हारे पत्थर भी जब्त होगें और नोटिस भी मिलेगा तुम बार–बार फालतू की बातें करने के लिए आ जाते हो और मोबाईल पर भी फालतू बातें करते हो। काम की बात नहीं करोगें तो अब तुम्हारा बाड़ा नहीं बचेगा। वार्तालाप के दौरान मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर उनसे हुई वार्तालाप को रिकॉर्ड कर लिया है। श्री देवदान सिंह कानि0 ने बताया कि मैंने आपको मोबाईल पर इस सम्बंध में हालात अवगत कराने पर आपके निर्देशानुसार पुनः परिवादी को आरोपी सरपंच श्री मनीष नागर के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट करने हेतु पुनः वार्तालाप करने व वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के लिए ई–मित्र की दुकान पर भिजवाया था। उस वक्त वहां अकेला आरोपी सरपंच श्री मनीष नागर ही बैठा हुआ था तथा अन्य आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच उपस्थित नहीं था। उस दौरान परिवादी ने पुनः आरोपी सरपंच श्री मनीष नागर से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की तो आरोपी सरपंच ने कहा कि तुम चार दिन से फोन कर रहे हो इस बार

व्यवस्था करके आना नहीं तो मामला उलझ जायेगा। आरोपी सरपंच ने यह भी कहा कि मैं 12 तारीख तक तुम्हारा इंतजार करूंगा तब तक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण रोक रहा हूं और मैं तुमसे सम्पर्क कर लूंगा तथा परिवादी ने यह भी बताया कि आरोपी सरपंच द्वारा 50,000रूपये रिश्वत राशि देने के लिए मुझे 12 तारीख तक का कहने पर मैंने 15 तारीख तक रूपयों की व्यवस्था कर देने के लिए कहा है। आरोपी सरपंच से दुबारा की गयी वार्तालाप को भी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना परिवादी द्वारा बताया गया है। श्री देवदान सिंह कानि0 ने बताया कि परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ ने मुझे कहा कि श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच श्री मनीष नागर सरपंच को भड़का सकता है। अतः उसको विश्वास में लेना जरूरी है। अतः उसके बारे में पता कर उससे पुनः बातचीत करना उचित रहेगा। परिवादी द्वारा बताये गये कथनों के सम्बंध में भी मैंने आपको जरिये मोबाईल हालात अवगत कराये थे तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी का आरोपी श्री धनराज मेघवाल से बपावर से ही मोबाईल कॉल कराया जाकर उसके बारे में जानकारी की गयी तो वह अपने गांव डूंगरपुर पहुंचना बताया। इस पर हम दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से बपावर से रवाना होकर परिवादी के घर डूंगरपुर आये तथा पुनः आरोपी श्री धनराज मेघवाल को कॉल किया तो उसने अपने घर पर ही होना बताने पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ को सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में पुनः रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने के लिए उसकी मोटरसाईकिल पर आरोपी के घर पर भेजा तथा मैं परिवादी के घर पर ही उसके लौटने का इंतजार करने लगा। लगभग 20–25 मिनट पश्चात् परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ अपनी मोटरसाईकिल से अपने घर पर आया तथा मुझे बताया कि मेरी आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच से पुनः बातचीत हो गयी है। उससे हुई बातचीत को भी मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। वार्ड पंच को सरपंच साहब से दुबारा उनकी दुकान पर जाकर की गयी वार्तालाप के बारे में भी मैंने बताया था कि उन्होने मुझे 14–15 तारीख तक की मोहलत दे दी है। इस पर आरोपी वार्ड पंच ने कहा कि, ठीक है। परिवादी ने बताया कि मैंने उसको कहा था कि तब तक तुम मेरे बाड़े में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं होने देना मैं 8–10 दिन में 50,000रूपये की व्यवस्था करके दे दूंगा। परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ ने मुझे मौके पर ही बन्द किया हुआ रिकॉर्डेड वार्ताओं सम्बंधी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सौंप दिया था तथा कहा कि मैं 14–15 तारीख तक आरोपियों के बारे में पता कर रिश्वत राशि के 50,000रूपये की व्यवस्था कर ट्रेप कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर मैं परिवादी को अब तक की कार्यवाही के बारे में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर स्वंय अकेला डूंगरपुर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूं। श्री देवदान सिंह कानि0 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये रिकॉर्डेड वार्ताओं सम्बंधी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को सुरक्षित मालखाना रखने के निर्देश दिये। आईन्दा परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। दिनांक 14.04.2023 समय 03:00 पीएम पर परिवादी श्री रामकुंवार ने जरिये मोबाईल कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि कल दिनांक 15.04.2023 को श्री मनीष नागर सरपंच व श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच ने मुझे बपावर स्थित आरोपी सरपंच की ई–मित्र की दुकान पर दोपहर बाद बुलाया है। मैं रिश्वत राशि 50,000रूपये की व्यवस्था कर सुबह ही ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। चूंकि कल दिनांक 15.04.2023 को परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ द्वारा रिश्वत राशि 50,000रूपये लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना है। अतः राजकीय अवकाश होने से दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ को जरिये मोबाईल दो स्वतंत्र गवाहान को पाबन्द कर उनके नाम व पद से अवगत कराकर दिनांक 15.04.2023 को सुबह 08.00 बजे तक ब्यूरो कार्यालय में भिजवाने हेतु पाबन्द करने बाबत् निर्देशित किया। दिनांक 15.04.2023 समय 08:00 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सुमन पुत्र स्व0 श्री पन्नालाल जाति माली उम्र 53 वर्ष निवासी लंका गेट झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल सीनीयर नर्सिंग ऑफिसर, सैटेलाईट चिकित्सालय झालरापाटन जिला झालावाड़ मो0नं0 9887100434 व श्री कृष्ण भारती पाटीदार पुत्र श्री प्रेम नारायण पाटीदार जाति पाटीदार उम्र 51 वर्ष निवासी मकान नं0 19 एश्वर्य नगर कोतवाली के पीछे झालावाड़ जिला झालावाड़ हाल सीनीयर नर्सिंग ऑफिसर, सैटेलाईट चिकित्सालय झालरापाटन जिला झालावाड़ मो0नं0 7014187645 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गयी तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति दी। समय 08:05 एएम पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 50,000रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि श्री मनीष नागर सरपंच व श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच दोनों ही सरपंच साहब की ई–मित्र की दुकान बपावर में ही रहेगें तथा वह मुझसे पूर्व में हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगें। इस पर परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सुमन सीनीयर नर्सिंग ऑफिसर व श्री कृष्ण भारती पाटीदार सीनीयर नर्सिंग ऑफिसर, सैटेलाईट चिकित्सालय झालरापाटन जिला झालावाड़ का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया।

परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ द्वारा दिनांक 04.04.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। समय 08:10 एएम पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सुमन सीनीयर नर्सिंग ऑफिसर व श्री कृष्ण भारती पाटीदार सीनीयर नर्सिंग ऑफिसर की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना में रखे हुए डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 06.04.2023 को रिश्वत मांग के सम्बंध में वार्ताऐं हुई थी जिनमें परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ एवं आरोपी श्री मनीष नागर सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी व आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच डूंगरपुर पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा के मध्य रिश्वत मांग के संबंध में दिनांक 06.04.2023 को समय 09.27 एएम पर आपस में आरोपी श्री मनीष नागर सरपंच की ई–मित्र की दुकान बपावर में हुई वार्ता व समय 10.37 एएम पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ व आरोपी श्री मनीष नागर सरपंच के मध्य आरोपी श्री मनीष नागर सरपंच की ई–मित्र की दुकान बपावर में हुई वार्ता तथा समय 12.51 पीएम पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ व आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के मध्य आरोपी श्री धनराज मेघवाल के घर ग्राम डूंगरपुर पर हुई वार्ता। उक्त तीनों वार्ताओं को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। डी.वी.आर. में रिकॉर्डेड रिश्वत मांग सत्यापन की तीनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कॉनि0 नं0 425 को निर्देश देकर सुन–सुन कर ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाना प्रारंम्भ कराई गई। उक्त तीनों रिकॉर्डेड वार्ताओं को डीवीआर चलाकर सुना गया तो, रिकॉर्डेड वार्ताओं को परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री मनीष नागर सरपंच की तथा तीसरी आवाज श्री धनराज वार्ड पंच की होना सुनकर पहचान कर बताया। उक्त तीनों रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताऐं मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10:30 एएम पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सुमन सीनीयर नर्सिंग ऑफिसर व श्री कृष्ण भारती पाटीदार सीनीयर नर्सिंग ऑफिसर के समक्ष अपने पास से 50,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 100 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी दोनों स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 50,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री राजकुमार सुमन से परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ की पहने हुए कुर्ते की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा श्री मनीष नागर सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् वह रिश्वत राशि को कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री राजकुमार सुमन व श्री कृष्ण भारती पाटीदार एवं परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने

फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री चन्द्रेश गोयल कानि. के द्वारा ही गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो अलग गिलास, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 11:30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सुमन व श्री कृष्ण भारती पाटीदार तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. 425, श्री शिवराज कानि. 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 व एक अन्य प्राईवेट वाहन से बजानिब बपावर की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे–आगे परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 12:40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाब्ता सरकारी व प्राईवेट वाहनों से बपावर के नजदीक बाईपास पर पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ अपनी मोटर साईकिल खड़ी कर मेरे पास आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ से आरोपी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच के बारे में बपावर में किस स्थान पर होने के सम्बंध में पता करने हेतु परिवादी से आरोपी श्री धनराज मेघवाल के मोबाईल नम्बर 9950745373 पर उसके मोबाईल नम्बर 7905116175 से कॉल लगवाया गया, तो कई बार कॉल करने बाद भी आरोपी श्री धनराज मेघवाल ने परिवादी का कॉल अटेंड नहीं किया। इस पर परिवादी ने बताया कि शायद आरोपी श्री धनराज मेघवाल सो रहा होगा अपने को उसके कॉल आने इंतजार करना उचित रहेगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से बपावर से सांगोद जाने वाले रास्ते पर एकान्त में आगे–आगे चलने के निर्देश दिये तथा स्वंय भी हमराही वाहनों व स्टॉफ के बपावर से सांगोद जाने वाले रास्ते की तरफ रवाना होकर एकान्त मकीम होकर परिवादी के मोबाईल पर आरोपी श्री धनराज मेघवाल का कॉल आने का इंतजार करने लगे। समय 03:00 पीएम पर परिवादी के मोबाईन नम्बर 7905116175 पर आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के मोबाईल नम्बर 9950745373 का कॉल आने पर समीप ही खड़े परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि आरोपी श्री धनराज मेघवाल ने उसे बताया कि वह सो गया था इसलिए उसका कॉल नहीं उठाया था। उसके द्वारा यह पूछने पर की मुझे क्यों कॉल किया है इस पर मैंने उसे बताया कि मेरे पास सरपंच साहब श्री मनीष कुमार नागर को देने के लिए 50,000रूपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गयी है। मैं बपावर ही आया हुआ हूं परन्तु मैं अकेला सरपंच साहब से मिलने नहीं जाउंगा क्योंकि वह मुझसे नाराज चल रहे है। इसलिए मैं तुम्हे पुराना बस स्टेण्ड के पास मिल जाउंगा तुम सरपंच साहब के बारे में पता करो कि वह बपावर में कहां पर है। इस पर आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच ने मुझे बताया कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले सरपंच साहब से बातचीत हुई है वह पुराना बस स्टेण्ड के पास स्थित श्री द्वारकालाल जी नागर के मकान पर ही सो रहे है। इस पर आरोपी श्री धनराज मेघवाल से मैंने कहा कि तुम बपावर आ जाओ तो उसने मुझसे 15–20 मिनट में बपावर आने तथा पुराना बस स्टेण्ड के पास पार्क के सामने स्थित (पटेल भवन) श्री द्वारकालाल जी नागर के मकान के बाहर इंतजार करने के लिए कहा है। चूंकि 15–20 मिनट में आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच द्वारा परिवादी के पास पुराना बस स्टेण्ड स्थित पार्क के सामने आने के लिए कहा है। अतः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को उचित निर्देश देकर उसकी मोटरसाईकिल से आगे–आगे पहुंचने के लिये रवाना किया तथा स्वंय भी प्राईवेट व सरकारी वाहन से स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता को लेकर सांगोद–बपावर रोड़ से पुराना बस स्टेण्ड के पास पहुंचे के लिए रवाना हुआ। समय 03:15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ के पीछे–पीछे पुराना बस स्टेण्ड बपावर के निकट स्थित पार्क के किनारे पेड़ों की आड में वाहनों को खड़ा कर उतर कर ट्रेप जाल बिछाया तथा परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ भी अपनी मोटरसाईकिल को तीन मंजिले मकान जिस पर पटेल भवन लिखा हुआ था तथा बड़ा सा स्टील व कथई कलर का गेट लगा हुआ था उसके बाहर खड़ा कर इंतजार करने लगा। कुछ देर पश्चात् ही एक सफेद रंग की शर्ट व सलेटी रंग की पेन्ट पहना हुआ गौरा सा पतला सा व्यक्ति मोटरसाईकिल पर बैठकर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ के पास आया तथा तत्काल पटेल भवन के

मैन गेट से अन्दर प्रवेश कर परिवादी को भी अन्दर ले गया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप पार्टी को अलर्ट किया तथा स्वंय द्वारा भी अपना छुपाव रखते हुए पटेल भवन के मैन गेट से बाहर आकर परिवादी द्वारा ईशारा करने का इंतजार करने लगा। इस बीच एक मजबूत कदकाठी का दाडी मुंछे वाला युवक जिसने काले रंग की शर्ट व सफेद रंग की पेन्ट पहन रखी थी मकान के बाहर साईड में खड़ी मोटरसाईकिल को स्टार्ट कर रवाना हो गया। समय 03:30 पीएम पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मकान के सामने पटेल हाउस लिखे हुए तीन मंजिले मकान के मुख्य द्वार के बाहर आकर रेम्प पर खड़े होकर पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को लेकर परिवादी के पास पहुंचा तथा परिवादी से पूर्व में रिश्वत लेनदेन वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे में लिया। परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उसके समीप ही गेट पर खड़े सफेद रंग की शर्ट व सलेटी रंग की पेंट पहने गौरे से पतले से व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि साहब यही वार्ड पंच श्री धनराज मेघवाल है जिन्होने इस मकान के पीछे बने कमरे में वहां पर सोफे पर बैठे सरपंच साहब के कहने पर मेरे बाड़े के काम के सम्बंध में बातचीत कर रिश्वत राशि 50,000रूपये की मांग कर प्राप्त कर गिनकर पीछे के कमरे में रखी हुई सनमाईका की टेबल की दाहिनी और की बीच वाली दराज में रखकर बन्द कर मेरे पीछे–पीछे मकान के गेट तक मुझे छोड़ने आये है तथा सरपंच साहब द्वारा इनको रिश्वत राशि के 50,000रूपये दिलवाकर यहां से अभी–अभी उनकी मोटरसाईकिल से निकल गये है। इस पर मकान के मुख्य द्वार पर परिवादी के पास खड़े सफेद रंग की शर्ट व सलेटी रंग की पेंट पहने गौरे से पतले से व्यक्ति का दाहिनी हाथ श्री देवदान सिंह कानि0 तथा बायां हाथ श्री शिवराज कानि0 द्वारा कलाई से ऊपर पकड़वाकर परिवादी के साथ–साथ ग्राउण्ड फ्लोर पर पीछे की और स्थित कार्यालयनुमा कक्ष में आये तथा सोफे पर तसल्ली देकर बैठाया गया तथा अन्य आरोपी सरपंच के बारे में उसका हुलिया, पहने हुए कपड़ो तथा मोटरसाईकिल के बारे में जानकारी करने पर आरोपी ने सांवले रंग व मजबूत कदकाठी का दाडी रखे हुए काले रंग की शर्ट व सफेद रंग की पेंट पहने हुए होना तथा बिना नम्बरी हीरो स्प्लेण्डर प्लस मोटर साईकिल से हाईवे की तरफ भागने की जानकारी दी गयी जिस पर कानि0 श्री देवदान सिंह व श्री शिवराज कानि0 को मौके पर ही आरोपी के साथ छोड़कर तत्काल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सरकारी वाहन बोलेरो व चालक श्री छोटूलाल कानि0 तथा श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0, श्री पवन कुमार कानि0 को साथ लेकर बताये गये हुलिये व पहनावा वाले बिना नम्बर की हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाईकिल पर बैठकर भागकर जाने वाले व्यक्ति का पीछा कर उसको बपावर बाईपास के आगे हाईवे पर हमराही जाब्ता की मदद से रोककर डिटेन कर मय मोटर साईकिल रवाना होकर ट्रेप स्थल पर साथ लेकर आकर बैठाया गया। तत्पश्चात् श्री देवदान सिंह कानि0 व श्री शिवराज कानि0 द्वारा कलाई से ऊपर हाथ पकड़कर बीच में सोफे पर बिठाये गये व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया कि वह अत्यन्त घबरा गया जिसे तसल्ली देकर शांत कर उसका नाम पता पूछा तो उसने रूबरू स्वतंत्र गवाहान अपना नाम धनराज पुत्र स्व0 श्री रत्तीराम जाति मेघवाल उम्र 55 साल निवासी डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल वार्ड पंच वार्ड नं0 05 ग्राम डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0) होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच से परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ से 50,000रूपये रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा गिनने के सम्बंध में पूछा गया कि उन्होने यह रिश्वत राशि क्यों व किस उद्देश्य से ली है तो आरोपी ने रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि आज से 12 साल पूर्व मैंने व मेरे भाईयों ने श्री रामकुंवार धाकड़ को भूलाहेड़ा रोड़ पर खलियान फुल साईज पर कोट से कोट (पत्थरों की बाउण्ड्री) तक का खलियान जो डूंगरपुर गणेश जी के स्थान से नजदीक स्थित हमारे कब्जे का था उसका विक्रय राशि 1.43 लाख रूपयों में नकद प्राप्त कर बेचा था जिस पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं था तथा हमने राजीखुशी यह सौदा किया था जिसकी लिखापढ़ी भी हुई थी। मैं ग्राम डूंगरपुर के वार्ड नं0 05 से निर्विरोध वार्ड पंच निर्वाचित हुआ हूं तथा हमारी ग्राम पंचायत लटूरी लगती है जिसके वर्तमान सरपंच श्री मनीष कुमार नागर है। इस खलियान (बाड़ा) का नाप करने के लिए श्री रामबाबू सेकेट्री आये थे तथा वहां पर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करने की बात वर्तमान सरपंच साहब ने बतायी थी। इस पर श्री रामकुंवार धाकड़ मेरे पास आये थे जिनको लेकर मैं ग्राम पंचायत लटूरी गया था जहां पर सरपंच साहब श्री मनीष नागर से इनको मिलवाया था कि इनको बाड़े का पट्टा बनवाना है तथा वहां पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण नहीं करने के लिए बोल रहे है। इस पर सरपंच साहब ने इनसे उस समय 50,000रूपये देने के लिए कहा था। आज मेरे पास श्री रामकुंवार धाकड़ का मेरे मोबाईल पर कॉल आया और उसने कहा कि 50,000रूपये की व्यवस्था हो गयी है तो मैं उनके साथ सरपंच साहब श्री मनीष नागर से उनके मोबाईल पर बात कर उनके श्री द्वारकालाल नागर जी के मकान पर मौजूद होने की जानकारी मिलने पर श्री रामकुंवार धाकड़ के साथ यहां आया था। जहां पर सरपंच साहब श्री मनीष नागर पहले से ही पीछे के कमरे में रखे सोफे पर बैठे थे जिनसे श्री रामकुंवार धाकड़ के बाड़े में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं करने तथा ग्राम पंचायत से बाड़े का पट्टा जारी कराने के सम्बंध में बातचीत हुई थी। श्री रामकुंवार धाकड़ ने 50,000रूपये निकालकर देने तथा सरपंच साहब द्वारा उनके बाड़े

का पट्टा बनाने व अन्य काम करने की कहने पर मैंने सरपंच साहब श्री मनीष नागर के कहने से 50,000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर गिनकर पीछे के कमरे में रखी सनमाईका टेबल की दाहिनी तरफ वाली बीच की दराज को खोलकर उसमें रखकर बन्द कर दी थी। उसके बाद सरपंच साहब श्री मनीष नागर अपनी मोटर साईकिल से चले गये तथा कुछ ही देर बाद में जब में श्री रामकुंवार जी को छोड़ने के लिए मकान के गेट पर पहुंचा तो वहां आप सभी लोग आ गये तथा मेरे दोनों हाथ पकड़वाकर मुझे मकान के पीछे के कमरे में रखे हुए सोफे पर हाथ पकड़वाकर बैठा दिया व श्री रामकुंवार जी को भी वापस कमरे में अपने साथ–साथ ले आये। उसके बाद सरपंच साहब के बारे में पूछने पर मैंने आपको बता दिया कि वह अभी–अभी उनकी मोटर साईकिल से निकल गये है। उनके हुलिये व पहनावे के बारे में भी मैंने आपको अवगत करा दिया था। मुझसे गलती हो गयी। मुझे माफ करें। मैंने यह रिश्वत राशि के 50,000रूपये सरपंच साहब श्री मनीष नागर के कहने पर लिये है। इस राशि में से मेरा कोई हिस्सा नहीं है। आरोपी श्री धनराज मेघवाल द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का मौके पर उपस्थित परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ द्वारा भी रूबरू स्वतंत्र गवाहान खण्डन करते हुए बताया कि श्री धनराज मेघवाल झूठ बोल रहे है। उन्होने 15 दिन से मुझे लगातार परेशान कर रखा है तथा बार–बार मेरे मोबाईल पर कॉल कर 50,000रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है तथा सरपंच साहब व वार्ड पंच ने यह भी कहा कि यदि 50,000रूपये नहीं दोगें तो तुम्हारे बाड़े में ही आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा तथा तुम्हारे बाड़े में पड़े हुए पत्थर भी जब्त कराउंगा तथा तुमको सरपंच साहब से नोटिस भी मिलने वाला है। अब दुबारा सेकेट्री साहब तुम्हारे बाड़े का नाप करने के लिए आयेगें फिर तुम भागे–भागे फिरना। परिवादी ने बताया कि सरपंच व वार्ड पंच दोनों की मिलिभगत है तथा मुझे धमकियां दी जा रही है तथा वार्ड पंच ने अपने मोबाईल से मुझे कई बार कॉल कर रिश्वत राशि के 50,000रूपये देने के लिए बोल रहा है। वार्ड पंच द्वारा मुझे सरपंच के पास ले जाकर भी उससे डराया धमकाया तथा बाड़े में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करने के लिए कहा है। इस प्रकार मैंने दुखी होकर आपके कार्यालय में जाकर शिकायत देकर यह ट्रेप कार्यवाही करायी है। तत्पश्चात् आरोपी के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में अलग–अलग सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 97 को निर्देश देकर एक कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के दाहिनें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का आरएच–1, आरएच–2 अंकित कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास में तैयार घोल मे आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को गिलास के घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों मे आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण भारती पाटीदार को आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच द्वारा सनमाईका टेबल की दाहिनी और की बीच की दराज में कागजों के ऊपर रखी हुई रिश्वत राशि को उठाने के निर्देश दिये जाने पर स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण भारती पाटीदार ने 500–500 रूपये के नोटो की गड्डी टेबल की बीच की दराज में से निकालकर पेश की। नोटो की गड्डी की गिनती करवाने पर 500–500 रूपये के कुल 100 नोट कुल राशि 50,000 रूपये होना पाया गया। तत्पश्चात अन्य गवाह श्री राजकुमार सुमन को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त नोटो के मिलान करने के निर्देश देने पर दोनों गवाहान ने टेबल की बीच की दराज में रखे गये बरामद नोटो की गड्डी के नोटो के नम्बर फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटो से मिलान कर हूबहू नम्बरी रिश्वती राशि वाले 50,000 रूपये भारतीय मुद्रा के होना बताने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अंकित किये जा रहे है, जो निम्न प्रकार है:–

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7RB 541842
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8UB 556245
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0FW 078555
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6EK 735864
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2DG 300208
6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7LE 618098
7	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6PG 617550
8	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6HS 057952
9	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0QS 384629
10	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1GE 817835
11	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5EV 165418
12	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4SA 263980
13	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8NF 565540

14	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9BD 575558
15	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1KK 226446
16	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4NC 687843
17	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6NC 156392
18	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6RQ 556701
19	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7DT 698410
20	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	2DC 366641
21	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8MD 540652
22	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7SF 729754
23	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8WN 052010
24	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3CM 533456
25	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3KT 107281
26	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5MK 436415
27	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4HH 546199
28	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3ML 110075
29	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0EC 942251
30	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0EC 942287
31	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0DU 567922
32	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1FL 776689
33	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	0BS 743429
34	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9HT 978734
35	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6LH 782261
36	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5NR 739123
37	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8DE 722002
38	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4CB 459595
39	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4CB 459594
40	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5NS 462594
41	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6SS 440429
42	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5AS 700504
43	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	2AT 785173
44	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7PR 690306
45	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9GU 358560
46	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4PW 416574
47	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4LV 878616
48	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	6AB 475086
49	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7UU 387469
50	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9GU 790102
51	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	3KE 545045
52	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7QD 806925
53	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1MC 988145
54	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9LW 934655
55	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9KA 942767
56	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	9ET 380275
57	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4DR 505939
58	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1TW 621091
59	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	7BW 801982
60	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	5DL 726212
61	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	8EC 909831
62	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	1LB 587892
63	एक नोट 500/—रूपये का नम्बर	4EH 563170

64	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3LK 903601
65	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8ES 199716
66	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0RC 594167
67	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9SB 909019
68	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4KV 580004
69	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4TP 992017
70	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2FB 131316
71	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7CR 122852
72	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0PQ 123229
73	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9DF 783105
74	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4RG 269897
75	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2QA 485834
76	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7UF 642204
77	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8KM 152468
78	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6FV 381066
79	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3EV 862327
80	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2PW 715084
81	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2QH 865193
82	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3EP 499835
83	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6TR 787842
84	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2NL 005210
85	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5UN 949703
86	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7ND 828243
87	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3DW 835343
88	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MV 891219
89	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1CF 887263
90	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1HM 071843
91	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8PH 447042
92	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9GU 769800
93	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9FP 973523
94	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6FU 479499
95	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6RL 270354
96	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2MU 121421
97	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3UK 033445
98	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5FU 941997
99	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9TT 988512
100	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7MA 685414

उक्त बरामद नोटों को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण भारती पाटीदार से प्राप्त कर श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 द्वारा एक कागज के लिफाफे में रखवाये जाकर लिफाफे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् रिश्वती राशि रखे हुए स्थान सनमाईका टेबल की दाहिनी और की बीच वाली दराज में रखे कागजों की धुलायी हेतु एक साफ कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 97 को निर्देश देकर एक कपड़े की चिन्दी को घोल में डूबोकर सनमाईका टेबल की दाहिनी और स्थित बीच वाली दराज में रखे हुए कागजों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में भीगी हुई कपड़े की चिन्दी से रगड़ कर उस चिन्दी को सोडियम कार्बोनेट के गिलास के घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का डी–1, डी–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा दराज के अन्दर रखे कागजों पर रिश्वत राशि रखे स्थल के धोवन में काम में ली गयी कपड़े की चिन्दी व कागजों को हवा में सुखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील–मोहर चिट कर मार्का सी अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् सांवले रंग का मजबूत कदकाठी का दाडी रखे हुए काले रंग की शर्ट व सफेद रंग की पेंट पहने हुए मौके से

भागने पर हमराही जाब्ता की मदद से बपावर बाईपास के आगे हाईवे से डिटेन कर ट्रेप स्थल पर लाकर बिठाये गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनीष कुमार नागर पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द नागर जाति धाकड़ उम्र 32 साल निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0) होना बताया। जिससे परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ से उसके बाड़े में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं करने तथा उसके बाड़े का ग्राम पंचायत से पट्टा बनवाने तथा नोटिस जारी नहीं करने की एवज में 50,000रूपये रिश्वत राशि व पेण्डिंग कार्य के सम्बंध में बातचीत कर रिश्वत राशि मांग कर अन्य आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच को दिलवाने तथा तत्काल अपनी मोटरसाईकिल से भाग जाने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं मांगी है और ना ही मैंने रिश्वत राशि के 50,000रूपये लिये है। यदि श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच ने श्री रामकुंवार धाकड़ से 50,000रूपये रिश्वत राशि मांगी हो अथवा आज प्राप्त की हो तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसका आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के सामने रूबरू कराया तो श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच ने कहा कि सरपंच साहब श्री मनीष कुमार नागर काफी दिनों से मुझसे बार–बार श्री रामकुंवार धाकड़ को मेरे मोबाईल से कॉल कराकर रिश्वत राशि के 50,000रूपये दिलवाने की कह रहे है। इस पर मैंने कॉल किया था यह रिश्वत राशि मैंने श्री मनीष कुमार नागर सरपंच साहब के कहने पर उनके लिए ही श्री रामकुंवार धाकड़ से मांग कर प्राप्त कर गिनकर ली है। इसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं है। मैंने श्री रामकुंवार धाकड़ को पहले भी सरपंच साहब से ग्राम पंचायत भवन, लटूरी में मिलाया था क्योंकि श्री रामकुंवार धाकड़ मेरे वार्ड के होने के कारण मेरे पास आये थे और उन्होने कहा था कि सरपंच साहब तुमसे खरीदे हुए बाड़े में आंगनबाड़ी भवन बनाने की धमकी दे रहे है तथा कह रहे है कि मैं तुम्हे ग्राम पंचायत से नोटिस जारी करा रहा हूं तुम भागे–भागे फिरना। इसके अतिरिक्त परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ द्वारा भी आरोपी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच के स्पष्टीकरण का खण्डन करते हुए बताया कि सरपंच साहब झूठ बोल रहे है। मैंने 12 साल पूर्व 1.50 लाख रूपये में यह बाड़ा श्री धनराज मेघवाल व उसके भाईयों से खरीदा था। जिसकी लिखापढ़ी भी मेरे पास मौजूद है। पहले भी श्री रामबाबू शर्मा सेकेट्री ने मुझे परेशान करने के लिए मेरे बाड़े का नाप किया था तो मैं उस समय के सरपंच श्री बंशीलाल जी से जाकर मिला तथा कागजात बताये तो उन्होने कहा कि यह बाड़ा इन्होने खरीदा है। इन्हे क्यों परेशान कर रहे हो। उसके बाद श्रीमती मीना जांगीड़ सरपंच बनी तो उसके कार्यकाल में मुझे कोई परेशानी नहीं आयी। वर्तमान सरपंच श्री मनीष नागर व श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच द्वारा रिश्वत खाने के लिए मुझे श्री रामबाबू शर्मा सेकेट्री को भेजकर बाड़े का नाप कराने के लिए बोल रहे है तथा बार–बार रिश्वत नहीं देने पर आंगनबाड़ी भवन बनाने तथा नोटिस देने की धमकियां दे रहे है। इस पर दिनांक 04.04.2023 को मैंने आपके कार्यालय में ट्रेप कराने की शिकायत दर्ज करायी थी जिस पर दिनांक 04.04.2023 को आपने मेरे साथ मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप कराने के लिए श्री देवदान सिंह जी को भिजवाया था परन्तु सरपंच साहब नहीं मिले थे। उसके बाद दिनांक 06.04.2023 को पुनः आपके द्वारा भिजवाने पर सरपंच साहब व वार्ड पंच दोनों ही बपावर बस स्टेण्ड के पास स्थित सरपंच साहब की ई–मित्र की दुकान पर मिल गये थे जहां पर मैंने इनसे रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान रिश्वत राशि देने तथा मेरा काम करने के सम्बंध में वार्तालाप की थी। स्पष्ट वार्तालाप नहीं होने पर पुनः सरपंच साहब की ई–मित्र की दुकान पर आकर मैंने सरपंच साहब से वार्तालाप की थी तथा उसी रोज डूंगरपुर जाकर श्री धनराज मेघवाल के घर पर भी जाकर सरपंच साहब से हुई वार्ता तथा उनके द्वारा रिश्वत राशि के 50,000रूपये देने के लिए दी गयी मोहल्लत के बारे में पुनः रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की थी। परिवादी ने यह भी बताया कि मैंने इन दोनों को पहले ग्राम पंचायत भवन में बुलाने पर 25,000रूपये देने के लिए बोल दिया था लेकिन सरपंच श्री मनीष नागर ने कहा कि 50,000रूपये लगेगें नही तो बाड़े में पत्थर भी जब्त होगें। एक नोटिस तो तैयार है और दूसरा भी तैयार करके तुम्हे दूंगा फिर भागते फिरना। मैंने हाथाजोड़ी की और कहा कि मुझे 10–15 दिन का टाईम दो तो इन्होने मुझे 12 तारीख तक का टाईम दिया था उसके बाद सरपंच साहब ने कॉल कर कहा था कि अब तुम मत आना तुम्हारे बाड़े में आंगनबाड़ी केन्द्र ही बनेगा। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। उसके बाद मेरे पास बड़ी मुश्किल 50,000रूपये की व्यवस्था हुई तथा मैंने आज श्री धनराज मेघवाल को कॉल कर कहा कि पूरे रूपयों की व्यवस्था हो गयी है तो वह तुरन्त अपनी मोटरसाईकिल से सरपंच श्री मनीष नागर का पता कर उसको 50,000रूपये रिश्वत राशि दिलवाने के लिए बपावर आ गया तथा मुझे श्री द्वारका लाल नागर जी के मकान में पीछे वाले कमरे में ले गया जहां सरपंच साहब सोफे पर बैठे मौजूद मिले जिन्होने मेरे काम करने के सम्बंध में मुझसे बातचीत कर 50,000रूपये की रिश्वत राशि सीधे ही श्री धनराज मेघवाल को दिलवा दी जिसने गिनकर 50,000रूपये कमरे में रखी सनमाईका की टेबल की दाहिनी और की बीच वाली दराज में रिश्वत राशि के 50,000रूपये रखने के बाद सरपंच श्री मनीष नागर तुरन्त ही मौका पाकर अपनी मोटरसाईकिल से फरार हो गया जिसे आप लोग पकड़ कर यहां लेकर आ गये हो। मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर आज मैं आपके कार्यालय गया जहां से आप द्वारा यह ट्रेप की कार्यवाही की गयी है। चूंकि आरोपी श्री मनीष नागर सरपंच द्वारा रिश्वत राशि के 50,000रूपये ग्रहण नहीं किये गये है। अतः आरोपी के हाथों की धुलायी नहीं करायी गयी है। परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ के बाड़े का श्री रामबाबू शर्मा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किये

गये मापन तथा जारी किये गये नोटिसों व पट्टा सम्बंधी दस्तावेजात आदि कागजातों की प्रमाणित प्रतियां पृथक से तहरीर जारी कर प्राप्त की जायेगी। समय 06:30 पीएम पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ एवं आरोपी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी व आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच ग्राम डूंगरपुर पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप के संबंध में दिनांक 15.04.2023 को परस्पर तीनो के मध्य श्री द्वारकालाल नागर वार्ड नं0 04 पुराना बस स्टेण्ड के पास, बपावर स्थित मकान के ग्राउण्ड फ्लोर में पीछे की तरफ निर्मित कार्यालयनुमा कक्ष पर हुई वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। उक्त वार्ता को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष डी.वी.आर. में रिकॉर्डेड वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय से साथ में ले गये अन्य लेपटॉप में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कॉनि. 425 को निर्देश देकर सुन–सुनकर ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाना प्रारंभ कराई गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को डीवीआर चलाकर सुना गया तो, रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज श्री मनीष कुमार नागर सरपंच व तीसरी आवाज आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच की होना सुनकर पहचान कर बताया। वार्ता को सुन–सुन कर हूबहू लेपटॉप पर टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 07:00 पीएम पर दिनांक 06.04.2023 को समय 09.27 एएम पर परिवादी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच व आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के मध्य व समय 10.37 एएम पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ व आरोपी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच के मध्य ई–मित्र की दुकान बपावर तथा समय 12.51 पीएम पर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ व आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के मध्य डूंगरपुर स्थित आवास पर आपस में रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ताऐं हुई थी, जिनकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.04.2023 को समय 08.10 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 15.04.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ व आरोपी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच एवं आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के मध्य उसके आवास पर आपस में वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 15.04.2023 को समय 06.30 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त चारों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय लेपटॉप में लेकर सेव किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये लेपटॉप पांच सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच के लिये, एक सीडी आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर चारों सीडियों को सील मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु पृथक से खुली रखी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा फर्द डबिंग सीडी को शामिल पत्रावली की गयी। समय 07:30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 07:40 पीएम पर आरोपी श्री मनीष कुमार नागर पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द नागर जाति धाकड़ उम्र 32 साल निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0) को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार सुमन से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध राशि इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार परिचित श्री द्वारकालाल नागर को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 07:50 पीएम पर आरोपी श्री धनराज पुत्र स्व0 श्री रत्तीराम जाति मेघवाल उम्र 55 साल निवासी डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल वार्ड पंच वार्ड नं0 05 ग्राम डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0) को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार सुमन से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध राशि इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार परिचित श्री द्वारकालाल नागर को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 08:05 पीएम पर आरोपी श्री मनीष कुमार नागर पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द नागर जाति धाकड़ उम्र 32 साल निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0) को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 06.04.2023 को उसकी स्वंय की ई–मित्र की दुकान, बपावर में समय 09.27 एएम पर व समय 10.37 एएम पर रिश्वत मांग सत्यापन से सम्बंधित वार्ताऐं तथा आज दिनांक 15.04.2023 को श्री द्वारकालाल नागर वार्ड नं0 04 में पुराना बस स्टेण्ड के पास बपावर स्थित मकान के ग्राउण्ड फ्लोर में पीछे की तरफ निर्मित कार्यालयनुमा कक्ष में वक्त रिश्वत लेन–देन के समय परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ से आपकी

वार्ता हुई थी, उक्त तीनों वार्ताओं को परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री मनीष कुमार नागर ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 08:20 पीएम पर आरोपी श्री धनराज पुत्र स्व0 श्री रत्तीराम जाति मेघवाल उम्र 55 साल निवासी डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल वार्ड पंच वार्ड नं0 05 ग्राम डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0) को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 06.04.2023 को आरोपी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच की ई–मित्र की दुकान बपावर में समय 09.27 एएम पर व उसी दिन आपके निवास डूंगरपुर में समय 12.51 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन से सम्बंधित वार्ताऐं तथा आज दिनांक 15.04.2023 को श्री द्वारकालाल नागर वार्ड नं0 04 में पुराना बस स्टेण्ड के पास बपावर स्थित मकान के ग्राउण्ड फ्लोर में पीछे की तरफ निर्मित कार्यालयनुमा कक्ष में वक्त रिश्वत लेन–देन के समय परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ से आपकी वार्ता हुई थी, उक्त तीनों वार्ताओं को परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री धनराज मेघवाल ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 08:25 पीएम पर मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। मौके से परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ को रूखसत कर आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री मनीष कुमार नागर व श्री धनराज मेघवाल को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स, लेपलॉट प्रिन्टर व जब्त शुदा आर्टिकल्स इत्यादी लेकर सरकारी व प्राईवेट वाहनों से मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 के आरोपी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच का किराये के मकान का मालिक श्री प्रकाशचन्द गुप्ता पुत्र श्री रामबाबू गुप्ता निवासी महाराणा प्रताप सर्किल बपावर के लिए रवाना हुआ। समय 08:35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता व दोनों आरोपीगण श्री मनीष कुमार नागर सरपंच व श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से बाद ट्रेप कार्यवाही रवाना होकर आरोपी के किराये के मकान महाराणा प्रताप सर्किल बपावर पहुंचा। समय का अभाव होने व साक्ष्य नष्ट होने की सम्भावना होने से तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया जा सका। आरोपी सरपंच श्री मनीष कुमार नागर से मकान का ताला खुलवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री मनीष कुमार नागर से किराये के मकान की तलाशी लेने हेतु सहमति चाही गई तो उसके द्वारा मकान की तलाशी हेतु अपनी मौखिक सहमति दी। किराये का मकान दो मंजिला है तथा मकान मालिक श्री प्रकाशचन्द गुप्ता पुत्र श्री रामबाबू गुप्ता निवासी महाराणा प्रताप सर्किल बपावर कला जिला कोटा का होना बताया। जिसमें नीचे ग्राउण्ड फ्लौर पर दो दुकाने बनी हुई है व प्रथम तल पर तीन कमरे, एक रसोई व एक लेट बाथरूम तथा एक चौक बने हुए है। जिनकी खाना तलाशी नियमानुसार ली गयी तो खाना तलाशी के दौरान कोई बहुमूल्य वस्तु जैसे नकदी, आभूषण, स्थायी सम्पत्तियों सम्बंधी दस्तावेजात नहीं मिले और ना ही कोई वस्तु/दस्तावेज जब्त कर कब्जे ब्यूरो ली गयी। फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा फर्द खाना तलाशी की एक प्रति आरोपी श्री मनीष कुमार नागर को निःशुल्क दी गयी। समय 09:00 पीएम पर खाना तलाशी की कार्यवाही सम्पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान हमराहियान जाब्ता व मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि तथा दोनों आरोपीगण को साथ लेकर सरकारी व प्राईवेट वाहनों से आरोपी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच के किराये के मकान महाराणा प्रताप सर्किल बपावर से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 10:20 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय आरोपीगण के साथ सरकारी व प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री मोहम्मद आफाक मुख्य आरक्षक नं. 97 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। समय 10:35 पीएम पर आरोपीगण श्री मनीष कुमार नागर सरपंच व श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 व श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 के साथ जरिये सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया। समय 11:00 पीएम पर आरोपीगण श्री मनीष कुमार नागर सरपंच व श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच को वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द कर जरिये सरकारी बोलेरो से श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 व श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 कार्यालय में हाजिर आये।

सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 04.04.2023 को परिवादी श्री रामकुंवार पुत्र स्व0 श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र 74 साल निवासी वार्ड नम्बर 5, डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि आरोपी श्री धनराज मेघवाल से 10–12 वर्ष पूर्व ग्राम डूंगरपुर में डेढ लाख रूपये में खरीदे गये बाड़े में अन्य जगह आंगनबाड़ी भवन के लिए स्थान आंवटित होने के बावजूद भी परिवादी के बाड़े में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं कराने तथा परिवादी द्वारा खरीदे गये बाड़े का ग्राम पंचायत से पट्टा बनवाने व परिवादी को ग्राम पंचायत से नोटिस जारी नहीं करने तथा श्री रामबाबू शर्मा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लटूरी को मौके पर भिजवाकर बाड़े का नाप नहीं कराने व आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के मार्फत परिवादी को आरोपी सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत भवन लटूरी में बुलाकर 50,000रूपये रिश्वत राशि देने का दबाव बनाने व रिश्वत राशि की मांग करने तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर बाड़े में पड़े हुए पत्थरों को भी जब्त कर आंगनबाड़ी भवन का बाड़े की जगह पर निर्माण कराने की बात कहकर धमकाकर आरोपी सरपंच श्री मनीष नागर व श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच द्वारा 50,000रूपये रिश्वत की मांग की गयी। परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने एवं रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से दिनांक 06.04.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपीगण श्री मनीष कुमार नागर सरपंच व श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच द्वारा 50,000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर सहमति देने की पुष्टि होने पर दिनांक 15.04.2023 को आरोपी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी द्वारा परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ के साथ घटनास्थल पर साथ–साथ आये आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के सामने परिवादी से उसके पेण्डिंग कार्य के सम्बंध में बातचीत कर रिश्वत राशि के 50,000रूपये मांग कर परिवादी श्री रामकुंवार धाकड़ से सीधे ही आरोपी श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच को दिलवाना तथा आरोपी श्री धनराज मेघवाल द्वारा रिश्वत राशि के 50,000रूपये प्राप्त कर गिनकर कक्ष में रखी हुई सनमाईका टेबल की दाहिनी तरफ की बीच वाली दराज में रखे कागजों के ऊपर रखकर दराज को बन्द करना जहां से रिश्वत राशि के 50,000रूपये दराज में से बरामद होना। इस प्रकार दोनों आरोपीगण द्वारा आपसी मिलिभगत कर परिवादी से 50,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करना परिवादी से 50,000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए आरोपी श्री धनराज मेघवाल को रंगे हाथों पकड़ा जाने व इसमें आरोपी श्री मनीष कुमार नागर सरपंच की आपसी मिलिभगत होने पर दोनों आरोपीगण को जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री धनराज मेघवाल के दोनों हाथों व रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिये जाने पर धोवन का रंग गुलाबी, हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसकी विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती राशि मूर्तिब की गयी। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताऐं दिनांक 06.04.2023, वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 15.04.2023 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट इत्यादी से आरोपीगण श्री मनीष कुमार नागर सरपंच व श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच का कृत्य जुर्म धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी आईपीसी के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री मनीष कुमार नागर पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द नागर जाति धाकड़ उम्र 32 साल निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0) व श्री धनराज पुत्र स्व0 श्री रत्तीराम जाति मेघवाल उम्र 55 साल निवासी डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा हाल वार्ड पंच वार्ड नं0 05 ग्राम डूंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0) व अन्य के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपीगण श्री मनीष कुमार नागर सरपंच व श्री धनराज मेघवाल वार्ड पंच के विरूद्ध उक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित है।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्री मनीष कुमार नागर, सरपंच, ग्राम पंचायत लटूरी, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा 2. श्री धनराज मेघवाल, वार्ड पंच, वार्ड नं. 05, ग्राम डूंगरपुर, ग्राम पंचायत लटूरी, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 86/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(सवाई सिंह गोदारा)
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 679-83 दिनांक 16.04.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

16/4/23
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।